राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता

भारत विकास परिषद जनमानस में देश-प्रेम की उदात्त भावना के जागरण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष **हिन्दी एवं संस्कृत राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता** का आयोजन करती है। इस संबंध में आवश्यक विवरण व नियम निम्न प्रकार हैं-

प्रतियोगी कौन

- इन प्रतियोगिताओं में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे।
- प्रतियोगिता में संगीत विद्यालयों का प्रवेश वर्जित है।

प्रतियोगिता का स्वरूप एवं नियम

1 **हिन्दी एवं संस्कृत** के कुछ श्रेष्ठ चुने हुए गीतों को सार्वदेशिक रूप से लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से परिषद द्वारा अनुमोदित पुस्तिका **(राष्ट्रीय-चेतना के स्वर)** में से ही गीत की स्वर संयोजना करके हिन्दी एवं संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

2 **'राष्ट्रीय चेतना के स्वर'** से लिया गया संपूर्ण गीत, निश्चित समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3 गीत के प्रस्तुतिकरण के समय गीत के भावानुसार, अपने स्थान पर ही खड़े रहकर शरीर के हाव-भाव प्रदर्शन की अनुमति है। **हिन्दी एवं संस्कृत गीतों** में स्थान बदलने की अनुमति नहीं है। **लोक गीतों की प्रतियोगिता में स्थान बदल सकते हैं।**

4 भाग लेने वाली टीम, वादक व वाद्य यंत्र अपने साथ लायेंगी। वादकों की अधिकतम संख्या तीन होगी। **कोई भी विद्युत या बैटरी चलित यंत्र प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा।** इन वाद्य यंत्रों के प्रयोग हेतु साजिन्दों की संख्या समूह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से पृथक होगी।

5 एक टीम में गायकों की संख्या **6 से 8** (छात्र / छात्राएं या दोनों) होनी चाहिए।

6 प्रत्येक टीम को प्रतियोगिता के लिए **सात मिनट** का समय अपने समूहगान प्रदर्शन के लिए मिलेगा एवं इस अवधि की गणना गीत या संगीत जो भी पहले आरंभ होगा, उससे की जायेगी। इस अवधि से अधिक समय लेने वाली टीम के प्राप्त अंकों के योग में से **पांच अंक** काट लिये जायेंगे।

7 **अधिकतम अंक संख्या 100 होगी। ये अंक निम्न रूप से 20-20 के अंशों में बांटे जायेंगे। संगीत-संयोजना, स्वर, ताल, उच्चारण एवं प्रस्तुतिकरण।**

8 प्रतियोगिता में वे स्वर रचनाएँ अधिक अच्छी समझी जायेंगी जो शास्त्रीय (हिन्दुस्तानी या कर्नाटक) संगीत से प्रेरित या लोकगीतों अथवा प्रादेशिक धुनों पर आधारित होंगी।

9 प्रतियोगिता में भाग लेते समय प्रत्येक टोली को किसी भी प्रकार की वेश-भूषा पहनने की अनुमति है, परन्तु विद्यालय का बैज/बैल्ट, संकेत चिन्ह आदि का प्रयोग करना वर्जित है।

10 गीत प्रस्तुतिकरण से पूर्व मंच पर भूमिका रखने की अनुमति नहीं है।

11 प्रस्तुतिकरण के समय टीम द्वारा अपने विद्यालय का नाम बताना वर्जित होगा।

12 निर्णायक मण्डल में अनुभवी संगीतज्ञ, कला विशेषज्ञ व भाषा विद्वान होंगे। परिषद् द्वारा घोषित माननीय निर्णायकों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।

13 **संयोजन समिति को राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता से संबंधित किसी भी विषय में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।**

14 प्रतियोगिता के कुछ समय पूर्व सभी टोली के प्रमुखों को एक विशेष बैठक में बुलाया जायेगा, जिसमें आयोजन समिति द्वारा सभी के सामने प्रदर्शन के क्रम आदि का निर्णय ड्रा द्वारा लिया जायेगा। संयोजक का निर्णय अंतिम और सभी के लिए मान्य होगा।

15 **शाखा स्तर से वही टीम प्रांत में शाखा का प्रतिनिधित्व करेगी जिसके हिन्दी एवं संस्कृत दोनों प्रतियोगिताओं में सम्मिलित रूप से कुल प्राप्तांक सर्वाधिक होंगे। इसी प्रकार प्रांत स्तरीय प्रतियागिता में हिन्दी व संस्कृत दोनों प्रतियोगिताओं को मिलाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम रीजनल स्तर पर भाग लेगी। इसी प्रकार रीजन की हिन्दी तथा संस्कृत में सर्वाधिक अंक पाने वाली टीम ही राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेगी।** अगर किसी कारणवश प्रथम स्थान पाने वाली टीम भाग नहीं ले पाती है तो द्वितीय स्थान पाने वाली टीम भाग ले सकेगी। परंतु इसकी अनुमति संयोजक से पहले ही लेनी होगी।

16 सभी टोलियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित रहना अनिवार्य है।

17 प्रत्येक समूह के साथ उसी विद्यालय के एक शिक्षक का आना अनिवार्य है।

पुरस्कार व सम्मान

प्रतियोगिता की विजेता टोलियों के लिए अलग-अलग पुरस्कार होंगे। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा।

आवश्यक सूचना

- शाखाओं / प्रांतों से आने वाली टोलियों के खाने व रहने की व्यवस्था आयोजक करेंगे।
- शाखाओं / प्रांतों से आने वाली टोलियों को आने-जाने का किराया व संबंधित व्यय स्वयं वहन करना होगा।
- प्रतियोगिता में आने वाली टीमों के लिए आवश्यक है कि वे प्रतियोगिता से 20 दिन पूर्व प्रतियोगिता के स्थानीय व राष्ट्रीय मंत्री को अपने पहुँचने की निश्चित तारीख व समय सूचित करें। जो टीम अपने रहने व खाने का प्रबंध स्वयं करना चाहें वे कृपया 15 दिन पूर्व सूचित करें।
- अखिल भारतीय स्तर पर भाग लेने वाली टोली प्रविष्टि पत्र के साथ शुल्क के रूप में रू 1000/- की राशि का भुगतान (आयोजक प्रांत के निर्देशानुसार) नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा करेगी।

राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली लोकगीत प्रतियोगिता के नियमः-

- राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी एवं संस्कृत गीतों की प्रतियोगिता के अलावा लोकगीत प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें भाग लेना ऐच्छिक होगा।
- लोकगीत प्रतियोगिता में 'राष्ट्रीय चेतना के स्वर' से हिन्दी एवं संस्कृत गीतों की प्रतियोगिता में प्रथम आयी हुई टीम ही भाग ले सकेगी।
- लोकगीत का चयन टोली स्वयं करेगी। जिस गीत का चयन करेंगे, वह देशभक्ति, लोक कला या भक्तिभाव से प्रेरित हों। चयनित गीत का हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद प्रतियोगिता से पूर्व (ड्रा के समय) अनुमति देने हेतु जमा करना अनिवार्य होगा।
- इस प्रतियोगिता में प्रस्तुति के समय प्रतिभागी अपना स्थान बदल सकते हैं।
- इस प्रतियोगिता के अन्य नियम व पुरस्कार राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता के अनुसार ही होंगे।